बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक- नि० प्रा०/ नि० 1-01/2014 958 /पटना, दिनांक 03 सितम्बर, 2014

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) ।
सभी नोडल पदाधिकारी ।
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी ।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) ।

विषय : **पैक्स निर्वाचन, 2014 के लिए मतदाता सूची के अद्यतनीकरण (Updation) के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्राधिकार के पत्रांक 945 दिनांक 02.09.2014 द्वारा पैक्स निर्वाचन, 2014 के लिए मतदाता सूची के अद्यतनीकरण (Updation) के संबंध में आवश्यक निदेश जारी किये गये हैं। इस बीच कई क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि पैक्स की सदस्यता अभियान के तहत व्यक्तिगत तौर पर सहकारिता विभाग द्वारा अधिकृत पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संबंधित प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश पर जिन्हें सदस्य बनाया गया है लेकिन जिनके सदस्यता शुल्क की राशि संबंधित प्राधिकृत पदाधिकारी के आदेश से एक साथ जमा की गई है, उन्हें समूह (bulk) में जमा किया गया माना जाय अथवा नहीं।

2. उल्लेखनीय है कि एक साथ बहुसंख्य आवेदनों के संदर्भ में कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के ज्ञापांक 4271 दिनांक 30.07.2014 द्वारा एक स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। उक्त के अनुसार ऐसे मामले जिनमें एक साथ बहुसंख्य आवेदनों को एक ही व्यक्ति द्वारा समर्पित किया जा रहा हो, की गहन छानबीन की जाय तथा छानबीन के निष्कर्ष के आधार पर प्रबंध समिति / सक्षम प्राधिकार द्वारा आवश्यक निर्णय लेते हुए अग्रत्तर कार्रवाई की जाय।

3. निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत उपर्युक्त शुद्धि पत्र के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन सदस्यों के सदस्यता शुल्क की राशि किसी पैक्स सदस्य अथवा किसी अन्य बाह्य व्यक्ति द्वारा एक ही जमा पर्ची के माध्यम से जमा की गई है, तो उसे समूह (bulk) में जमा किया गया माना जायेगा। लेकिन, यदि सदस्यता के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा एक साथ आवेदन पत्र सहकारी बैंक में प्रेषित की गई है एवं इसके आधार पर एक ही जमा पर्ची पर किसी सहकारी बैंक में राशि जमा की गई है, तो उसे समूह (bulk) में जमा किया गया नहीं माना जायेगा। यह उन्हीं मामलों पर लागू होगा, जिनकी सदस्यता शुल्क

की राशि कट-ऑफ तिथि 31.07.2014 तक जमा की गई है। दूसरे शब्दों में, कट-ऑफ तिथि 31.07.2014 के बाद जमा सदस्यता शुल्क की राशि की मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. मतदाता सूची के अद्यतनीकरण (Updation) कार्यक्रम के अधीन प्राप्त आवेदनों पर उपर्युक्त निदेशों के अनुसार मतदाता सूची में प्रभावित व्यक्तियों के नाम प्रविष्ट किये जा सकते हैं।

विश्वासभाजन,

13.9.17

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी